झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (लेखा)–06 / 2021 - 884

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 29.12.2021

विषयः– **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आबंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या ज्ञापांक–2853 दिनांक–26.05.2015 द्वारा जिला के अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। उक्त के आलोक में अधिनियम के तहत् प्राप्त शिकायतों का निवारण संबंधित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। इस कार्य हेतु संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था करने हेतु उन्हें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि सभी अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को उक्त कार्य हेतु आवश्यक आबंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा मामलें का निष्पादन सुगमतापूर्वक किया जा सके।

विश्वासभाजन

29/12/21

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx168